राजस्थान सुनवाई का अधिकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 01 / 2019 (रा.सुन.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 18.11.2019

श्री गंगाधर पिता मांगीलाल सोलंकी निवासी ए–10, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

अतिरिक्त कलक्टर एवं जनसुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जनसुनवाई अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिनांक 10.10.2019 को श्री करण सिंह चण्डालिया द्वारा अपने कॉम्पलेक्स निर्माण के अण्डर ग्राउण्ड बेसमेंट निर्माण में तीन दिशाओं में 4–4 फीट आम रास्ते पर अतिक्रमण करने, अति छाजन करने तथा अधिकारियों द्वारा शिकायत पर सुनवाई नहीं करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जनसुनवाई अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को नियत समय में न तो सुनने हेतु आमंत्रित किया तथा न ही प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस कार्यालय के पत्रांक प्र. सं./01/2019(सुनवाई का अधिकार)(06.12)/701 दिनांक 18.11.2019 से अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जनसुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 06.12.2019 से पूर्व कमेन्ट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.12.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.12.19 सांय तक भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई अपीलोत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः अपील को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित कराने का आदेश प्रदान करावें।

राज॰ सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जनसुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/जन सुनवाई/2019/816 दिनांक 20.12.2019 (प्राप्ति दिनांक 23.12.2019) से कमेंट्स प्रेषित किये कि अपीलार्थी ने सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत अपील प्रस्तुत की है अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10.10.2019 को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया गया जो वर्तमान मे "कार्य नियत तिथि तक नहीं होने के कारण परिवाद उपरी स्तर पर चला गया है (लेवल–2) टिप्पणी साईड पर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का संबंध आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से होने से, परिवाद का निस्तारण नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों तथा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जन सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/जन सुनवाई/2019/816 दिनांक 20.12.2019 से प्रेषित कमेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से रिषभ कॉम्पलेक्स, भगवती होटल के पास श्री करणसिंह चण्डालिया के तीन मंजिला कॉम्पलेक्स निर्माण में 4–4 फीट तीनों दिशाओं में अतिक्रमण करने संबंधी शिकायत पर उसे जन सुनवाई अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं देने तथा शिकायत का निस्तारण नहीं करने से यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 10.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद नगर परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित है जिसके लिए जन सुनवाई अधिकारी आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ नियुक्त हैं अतः अपीलार्थी का परिवाद अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जन सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत होने पर उन्हें परिवाद प्राप्ति दिनांक से सात दिवस की अवधि के भीतर संबंधित जन सुनवाई अधिकारी को स्थानान्तरित करना चाहिए था जो कि अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जन सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा नहीं किया गया है तथा न ही उक्त परिवाद को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज किया गया है बल्कि उसे सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया गया है।

राज० सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 01/2019 (राज.सुन.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जनसुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जन सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसके परिवाद का आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से सात दिवस में निस्तारण कराने की सुनिश्चितता करें।

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/रा.सुन.अ./01/2019/764 दिनांकः–24/12/2019

प्रतिलिपिः–
1. अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं जन सुनवाई अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री गंगाधर सोलंकी पिता मांगीलाल जी सोलंकी निवासी ए–10 अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:27:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: